...यालय उपखण्ड ... पचवारा जिला–दौसा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2024.09.05 15:09:51 IST
Reason: SelfAttested

पीठासीन अधिकारी :– ... ना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– **10/24** वादपत्र

1. घासी पुत्र ग्यारसा उम्र 58 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी सलेमपुरा तहसील राहूवास जिला दौसा।

(वादी)

बनाम

1. नन्दलाल पुत्र ग्यारसा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सलेमपुरा तहसील राहूवास जिला दौसा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राहूवास जिला दौसा।
3. उपंपजियक राहूवास जिला दौसा।
4. जरिये प्रबंन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा डूंगरपुर तहसील राहूवास जिला दौसा।
5. जरिये प्रबन्धक स्टेट बैंक शाखा लालसोट जिला दौसा।

(प्रतिवादीगण)

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 व 188 रा0 का0 अधि0</u>

:: निर्णय :: दिनांक :– 13.05.2024

उपस्थिति :– 1. श्री लेखराज शर्मा एडवोकेट (वादी)
2. श्री अरूण कुमार गौड़ एडवोकेट (प्रतिवादी सं 1)
3. श्री महेश ककराला एडवोकेट (प्रतिवादी सं 4 व 5)

वादी द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 व 188 रा0का0अधि 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी व आधिपत्य की भूमि आराजी ख0नं0 92 रकबा 0.0200 है0, ख0नं0 93 रकबा 0.0100 है0, ख0नं0 94 रकबा 3.0100 है0, ख0नं0 96 रकबा 0.0100 है0, ख0नं0 97 रकबा 2.4900 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 5.5400 है0 वाकै ग्राम सलेमपुरा तहसील राहूवास जिला दौसा में स्थित है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में अविभाजित है। वाद पत्र प्रस्तुत कर बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विधिवत प्रकार से विभाजन किया जाकर तदानुसार राजस्व अभिलेख में अमल करने का अनुतोष चाहा है।

वादी का वाद पत्र विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर तलवी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 की तरफ से अधिवक्ता श्री अरूण कुमार गौड़ व प्रतिवादी संख्या 4 व 5 की तरफ से अधिवक्ता श्री महेश ककराला द्वारा वकालतनामा व जवाब दावा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे के बिन्दु संख्या 7 में प्रतिवादी संख्या 1 को विभाजन बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस करवाने में कोई

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ पचवारा (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

आप्पति नही होना अंकित किया गया है। वाद वादी दिनांक 23.02.2024 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार राहूवास से विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये।

तहसीलदार राहूवास से विभाजन प्रस्ताव दिनांक 12.03.2024 को प्राप्त हुए जो शामिल पत्रावली किये गए। उक्त कुर्रेजात रिर्पोट पर प्रतिवादी सं 1 द्वारा आप्पति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात निर्णय दिनांक 29.04.2024 द्वारा खारिज किया गया। वकीलवादी द्वारा तहसीलदार राहूवास द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिर्पोट के अनुसार वादी का वाद अन्तिम रूप से डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रवली में उपलब्ध जंमाबन्दी सम्वत् 2076–2079 के अनुसार खसरा नम्बर 92, 93, 94, 96, व 97 पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 प्रत्येक 1/2–1/2 हिस्से के रिकॉर्डेड सहखातेदार दर्ज है। तहसीलदार राहूवास द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव जंमाबन्दी में दर्ज हिस्से के अनुसार सही पाया गया। इस प्रकार कुर्रेजात रिर्पोट रिर्पोट के आधार पर वादी का वाद अंतिम रूप से डिक्री होने योग्य है।

अतः वाद वादीगण अंतिम रूप से डिक्री कर तहसीलदार राहूवास द्वारा पेश कुर्रेजात रिर्पोट एंव नक्शा ट्रेस के मुताबिक आराजी ख0नं0 92 रकबा 0.0200 है0, ख0नं0 93 रकबा 0.0100 है0, ख0नं0 94 रकबा 3.0100 है0, ख0नं0 96 रकबा 0.0100 है0, ख0नं0 97 रकबा 2.4900 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 5.5400 है0 वाके ग्राम सलेमपुरा तहसील राहूवास का विभाजन कर निम्न सारणी अनुसार पृथक–पृथक खाता व लगान कायम करने के आदेश दिये जाते है।

क सं	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1.	घासी पुत्र गयारसा .जाति ब्रहमण सा.देह खातेदार रहिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा लालसोट	94/1 96 97/1	1.4800 0.0100 1.2450	चाही – 3 गै.मु.चाह चाही–3	28.12 23.65
2.	नन्दलाल पुत्र ग्यारसा जाति ब्रहमण सा. देह. खातेदार रहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा डूंगरपुर	93 94/2 94/3 97/2	0.0100 1.4300 0.0500 1.2450	गै.मु.चाह चाही–3 चाही–3 चाही–रु	 27.17 0.95 23.65
3	1. घासी पुत्र गयारसा हिस्सा 1/2 जाति ब्रहमण सा.देह खातेदार रहिन (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा लालसोट 2 नन्दलाल पुत्र ग्यारसा हिस्सा 1/2 जाति ब्रहमण सा. देह. खातेदार रहिन (पूर्ण खाता) पंजाब नेशनल बैंक शाखा डूंगरपुर	94/4 92	0.0500 0.0200	चाही–3(रास्ते के प्रयोजनार्थ) गै.मु.आबादी	0.95

कुर्रेजात रिर्पोट दिनांक 12.03.2024 व नक्शा ट्रेस अंतिम डिक्री का भाग रहेगी। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्राव[illegible] होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.05.2024 [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2024.09.05 15:09:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ पचवारा।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ पचवारा (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner